न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 40 / 2018

1. बृजलाल पुत्र श्री मामराज, जाति छिम्पा, निवासी गोलूवाला सिहागान, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. संजय कुमार पुत्र शंकरलाल, जाति छिम्पा, निवासी गोलूवाला सिहागान, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र बलराम, जाति जाट, निवासी गोलूवाला सिहागान, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र तारूराम, जाति जाट, निवासी गोलूवाला सिहागान, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल, श्री जगजीत सिंह रमाणा प्रार्थीगण क्रमशः 2 व 1
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — अप्रार्थी संख्या 1 व 2
2. राज पैरोकार — प्रतिवादी सं. 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 11/08/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थी स.1 बृजलाल के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 33 एलएलडब्ल्यु के खाता स. 54 / 67 के प.न. 33 / 231(19) के किला न. 6 ता 10 की 1.252 हैक. नहरी व प्रार्थी स. 2 संजय कुमार के नाम से इसी चक के खाता स.110 / 71 के प. न. 33 / 231(19) के किला न. 10 ता 15 की 1.278 हैक. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व प.न. 33 / 231 के किला न. 1 ता 5 प्रार्थी स.1 के पुत्र विनोद कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी स.1 के नाम निम्नाकित कृषि भूमि है—

चक नम्बर	खाता नम्बर	प.न.	किला न.	तादादी
33 LLW	92 / 38	33 / 231(19)	16 ता 24	[illegible] 2.277 हैक
		32 / 231(20)	[illegible]	[illegible]71 हैक. . कुल [illegible]

हैक, नहरी खाते[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी स.2 के नाम से चक 33 एलएलडब्ल्यु के खाता स.20 / 17 के प.न. 33 / 231 (19) के किला न. 25 की 0.253 हैक. नहरी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि प्रार्थी स. 1 बृजलाल के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 33 एलएलडब्ल्यु के खाता स. 54 / 67 के पन. 33 / 231 (19) के किला न. 6 ता 10 की 1.252 हैक. नहरी व प्रार्थी स. 2 संजय कुमार के

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नाम से इसी चक के खाता स.110/71 के प. न. 33/231(19) के किला न. 10 व 15 की 1.278 हैव. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व उसी अनुसार प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अप्रार्थी स. 1 की व दफा 3 में अप्रार्थी स.2 की कृषि भूमि दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प.न.33/231(19) के दक्षिण दिशा में चल रहे आम रास्ता से आता हुआ अप्रार्थी स.2 के प.न.33/231 (19) के किला न. 25 व अप्रार्थी स.1 के प.न. 33/231 (19) के किला न. 16 तथा प्रार्थी स. 2 की भूमि के प.न. 33/231 (19) के किला न. 15 इस प्रकार अप्रार्थी स. 1 व 2 तथा प्रार्थी स.2 के किला न. 15, 16 व 25 के पूर्व दिशा में 1–1 बिस्वा यानि कि 0.01 3 हैव.–0.0 1 3 हैव. उतर से दक्षिण चल रहे रास्ते से आता हुआ प्रार्थी स.1 की कृषि भूमि किला न. 6 तक पहुंचता हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि में पहुचने के लिए अप्रार्थी स. 1 व 2 तथा प्रार्थी स.2 के नाम वर्णित किला न. 15, 16 व 25 के पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण 0.013 हैव. व 0.013 हैव. बने रास्ते से आते जाते हैं व इस रास्ते को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थीगण रास्ता में प्राप्त कृषि भूमि के बदले में 2 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 व 2 को देगे प्रार्थी स. 2 अप्रार्थी स. 1 को अपने नाम दर्ज चक 33 एलएलडब्ल्यु के पन. 33/231(19)के किला न. 11/0.253 में से चिपते ही 2 बिस्वा यानि की 0.026 हैव. अप्रार्थी स.1 के नाम दर्ज की जावें व प्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज चक 33 एलएलडब्ल्यु के प.न. 33/231(19) के किला न. 10/0.240 हैक. में से 0.013 हैक. भूमि प्रार्थी स.2 के नाम दर्ज की जावें तथा अप्रार्थी स. 1 अपने नाम चक 33 एलएलडब्ल्यु के खाता स. 92/38 के प.न. 33/231(19) के किला न. 24 की 0.253 हैव. में से 0.013 हैव. किला न. 25 के चिपते भूमि अप्रार्थी स.2 को देने को सहमत है उसी अनुसार अप्रार्थी स. 2 के नाम दर्ज की जावे। इस प्रकार अप्रार्थी स.1 के नाम प्रार्थी स.1 की चक 33 एलएलडब्ल्यु के पन. 33/231 (19) के किला न. 11/0.253 में से चिपते ही 2 बिस्वा यानि की 0.026 हैक. अप्रार्थी स. 1 के नाम की चक 33 एलएलडब्ल्यू के खाता स. 92/38 के पन. 33/231 (19) के किला न. 24 की 0.253 हैव, में से 0.013 हैव. अप्रार्थी स. 2 के नाम व प्रार्थी स. 1 के नाम चक 33 एलएलडब्ल्यु के प. न. 33/231 (19) के किला न. 10/0.240 में से चिपते ही 1 बिस्वा यानि की 0.013 हैव, प्रार्थी स. 2 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये

जावे व प्रार्थीगण कि कृषि भूमि में आने जाने हेतू अप्रार्थी स.1 के नाम चक 3 3एलएलडब्ल्यु के प.न. 33/231(19) के किला न. 16 में 0.013 हैव. व अप्रार्थी स.2 के नाम चक 33 एलएलडब्ल्यु के प.न. 33/231(19) के किला न. 25 में 0.013 हैव. तथा प्रार्थी स.2 के नाम दर्ज चक 33 एलएलडब्ल्यु के प.न. 33/231(19) के किला न. 1 5 में 0.013 हैव. पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण 0.013 हैव. व 0.013 हैव. बने रास्ते में आते हैं व इस रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी स.3 जो कि भू–धारक है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित शुल्क पर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर ... अप्रार्थी स.1 के नाम चक 33 एलएलडब्ल्यू के प.न. 33/231 के किला न. 16 में 0.013 हैव. व अप्रार्थी स. 2 के नाम चक 33 एलएलडब्ल्यु के प.न. 33/231 (19) के किला न. 25 में 0.013 हैव. पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण 0.013 हैव. व 0.013 हैव. तथा प्रार्थी स.2 के नाम दर्ज चक 33 एलएलडब्ल्यु के प.न. 33/231(19) के किला न. 15 में 0.013 हैव. रास्ता को स्वीकृत किया जाकर चक 33 एलएलडब्ल्यु के प.न. 33/231(19) के किला न. 11 की 0.026 हैव. भूमि अप्रार्थी स.1 नाम व प. न. 33/231(19) के किला न. 24 की 0.013 हैव. भूमि अप्रार्थी स. 2 के नाम तथा प.न.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

33/231(19) के किला न. 10 में प्रार्थी स.1 के नाम दर्ज भूमि में से 0.013 हैक. भूमि प्रार्थी स. 2 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने की कृपा की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हरजिन्द्र रमाणा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया है जबाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की और निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में प्रार्थी की कृषि भूमि दर्ज होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि दर्ज होना स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में अप्रार्थी सं.2 के नाम कृषि भूमि दर्ज होना स्वीकार है लेकिन अप्रार्थी सं. 2 के नाम इसी चक के प.नं. 33/232 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण की भूमि में से कोई भी रास्ता मौका पर नही चल रहा है। प्रार्थी के द्वारा मनगढ़त तथ्य पेश किये गये है जो अस्वीकार है। वर्तमान में प्रार्थी प.नं. 33/320 किला नं. 5, 6 जो दयाराम वगैरा की भूमि है में से होकर अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है। उक्त रास्ता प्रार्थी को सुविधाजनक है व प्रार्थी की भूमि के नजदीक है। उसे अन्य कोई रास्ता की आवश्यक्ता नही है। मिन अप्रार्थीगण की भूमि में कोई किसी प्रकार का प्रार्थी का आना जाना नही है व ना ही रास्ता मौका पर चालू है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है क्योंकि मिन अप्रार्थीगण की भूमि में जब कोई रास्ता चल ही नही रहा तो स्वीकार कर भूमि देने का कोई औचित्य नही है और मिन अप्रार्थी सं.2 की भूमि के साथ प्रार्थी की कोई भूमि नही लगती है। इसलिये प्रार्थी एक बिस्वा भूमि को किस प्रकार काश्त करेगा जो अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कानूनी है।

अतिरिक्त कथन

यह कि प्रार्थी की भूमि चक 33 एलएलडब्लयू के प.नं. 33/231 किला नं. 6 ता 15 की 2.530 हैक. भूमि में 1/2 हिस्सा दर्शाया है जबकि शेष तथ्य प्रार्थी के द्वारा नही दर्शाये गये है क्योंकि प्रार्थी की भूमि इसी चक 33 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 33/230 के किला नं. 11 ता 25 में भी दर्ज रिकार्ड है जो तथ्य प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना गये है क्योकि प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण के साथ रजिंश रखता है व इसी के चलते मिन पत्र में छुपाये अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी वर्तमान में 33/230 के किला नं. 5, 6 में बने रास्ता से होता हुआ अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व प्रार्थी के साथ उक्त प.नं. 33/230 के किला नं. 5, 6 के मालिक दयाराम वगैरा भी प्रार्थी के साथ सहमत है जो कि प्रार्थी उक्त रास्ता को पिछले 15–20 सालो से निरन्तर उपयोग में ले रहा है जो प्रार्थी के लिये सुविधाजनक है व उसकी भूमि के चिपता हुआ है। इसलिये प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकार नहीं है मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये व मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मिन अप्रार्थी सं.2 की भूमि चक 33 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 33/231 के किला नं. 25 मात्र 1 बीघा भूमि है। मिन अप्रार्थी सं. 2 के चिपती हुई भूमि अप्रार्थी सं.1 की भूमि है इसलिये मिन अप्रार्थी सं. 2 को जो प्रार्थी भूमि किला नं. 6 में देना चाहता है वो प्रार्थी के किसी भी भूमि के चिपती हुई नही है व ना ही प्रार्थी उक्त 1 बिस्वा भूमि की काश्त कर सकेगा जिससे मिन अप्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। यह कि वर्तमान में प्रार्थी की भूमि को चक

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

3 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 33/230 किला नं. 5, 6 में रास्ता मौका पर चल रहा है जिसका उपयोग प्रार्थी पिछले 15–20 सालो से कर रहा है इसलिये प्रार्थी को नये रास्ता की कोई आवश्यक्ता नही है। प्रार्थी के द्वारा मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है ।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 26.06.25 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 33 एल.एल.डब्ल्यू. प.न. 33/231 (19) कि.नं. 15, 16 व 25 में मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व भी कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं।प्राथी द्वारा चाहा गया रास्ता से कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा चक 33 एल. एल. डब्ल्यू. पन 33/231 (19) 15/0.013, 18/0.013, 25/0.013 में (पूर्व दिशा में) रास्ता चाहा गया है। वर्तमान में मौके पर इन किलो में रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में आवागमन हेतु 33/230 (18) कि. नं. 5. 6, 15 में अस्थाई रास्ते का प्रयोग कर रहा है. लेकिन प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के पास प.नं. 33/232 (32) कि. नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुद्धा रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रतिकर के रूप में भूमि के बदले देने की ऐवज में रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमती व्यक्त की गई। अधिवक्त प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र 251–क आरटीए स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि अप्रार्थी स.1 के नाम चक 33 एलएलडब्ल्यू के प.न. 33/231 के किला न. 16 में 0.013 हैक. व अप्रार्थी स. 2 के नाम चक 33 एलएलडब्ल्यु के प. न. 33/231 (19) के किला न. 25 में 0.013 हैक. पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण 0.013 हैक. व 0.013 हैक. तथा प्रार्थी स. 2 के नाम दर्ज चक 33 एलएलडब्ल्यु के प.न. 33/231(19) के किला न. 15 में 0.013 हैक. रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। रास्ता के प्रतिकर के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी संख्या 2 की प.न. 33/231 में चिपती हुई किला न. 11 की 0.026 है. भूमि दी जाती है चुंकि प्रार्थी संख्या 1 की भूमि चिपती भूमि नहीं होने के कारण प्रार्थी संख्या 1 ने अपनी भूमि प.न. 33/231 में चिपती हुई किला न. 10 में से 0.013 है. प्रार्थी संख्या 2 के चिपती हुई भूमि दर्ज की जावे व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम प.न. 33/231 में चिपती हुई किला न. 24 की 0.013 है. भूमि अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में दर्ज की जावे। रास्ता राजस्व रिकार्ड में जांच कर किसी न्यायालय [illegible] आदेश न होने की स्थिति में अमलदारामद करें। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि जांच कर स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 11/08/2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा